


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550]
No. 550]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 27, 2014/कार्तिक 5, 1936
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2014/KARTIKA 5, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 743(अ).—केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों से परामर्श करके, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 23 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्यान की कम पूर्ति के लिए राज्य सरकारों को निधियों की उपलब्धता नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) अभिप्रेत है ;

(ख) “निगम” से खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम अभिप्रेत है ;

(ग) “खाद्यानों की हकदार मात्रा” से अधिनियम की धारा 22 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आवंटित की जाने वाली खाद्यानों की मात्रा अभिप्रेत है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. **खाद्यानों के आवंटन के लिए समय-सीमा.**—केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें खाद्यानों के आवंटन और अधिनियम के अधीन हकदार व्यक्तियों को वितरण के लिए उनको उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करेंगे।

4. केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को खाद्यानों का आबंटन और पूर्ति.—केंद्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से खाद्यानों की हकदार मात्रा आबंटित की गई है और आबंटित खाद्यानों की नियमित पूर्ति प्रत्येक राज्य में केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित डिपो में पहुंचती है।

5. केंद्रीय सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराने की रीति.—यदि केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार को खाद्यानों की हकदार मात्रा की पूर्ति करने में असमर्थ है तो वह उस राज्य सरकार को उस विपणन समय पर सुसंगत खाद्यानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के 1.25 गुणा और अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमत के बीच के अंतर की दर से कम पूर्ति की सीमा तक निधियां उपलब्ध कराएगी।

6. राज्य सरकारों द्वारा आनुकूलिक इंतजाम की दशा में उपलब्ध कराई जाने वाली निधियां.—(1) यदि केंद्रीय सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार को खाद्यानों की हकदार मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो वह राज्य सरकार कम पूर्ति की सीमा तक खुले बाजार से क्रय के माध्यम से अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन हकदारियों के परिदान का इंतजाम कर सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन खुले बाजार से क्रय की दशा में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों को खाद्यानों की कम पूर्ति की सीमा तक—

- (i) वह कीमत, जिस पर राज्य सरकार ने खाद्यानों को क्रय किया है और अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों के बीच अंतर की दर से ; या
- (ii) उस विपणन समय पर सुसंगत खाद्यानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुणा और अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों के बीच अंतर की दर से,

इसमें जो भी कम हो, निधियां उपलब्ध कराएगी।

7. राज्य सरकार द्वारा निधियों का दावा करने के लिए प्रक्रिया.—नियम 5 और नियम 6 के अधीन निधियों का दावा करने के लिए राज्य सरकार, सभी विशिष्टियों सहित, केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए दावा प्रस्तुत करेगी, अर्थात् :—

- (i) कम पूर्ति की मात्रा ;
- (ii) अभिहित डिपो, जिसमें कम पूर्ति हुई है ;
- (iii) कम पूर्ति की अवधि ;
- (iv) खाद्यानों की कम पूर्ति से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से खाद्यानों के क्रय का सबूत ; और
- (v) ऐसे अन्य आवश्यक दस्तावेज, जो दावा सिद्ध करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

8. केंद्रीय सरकार द्वारा दावों को प्रक्रियागत करना.—(1) केंद्रीय सरकार, नियम 7 के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त दावों को इसके द्वारा दावे की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निगम को भेजेगी।

(2) निगम, राज्य सरकार के दावे को प्रक्रियागत करने के पश्चात्, केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए दावे की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अपने संप्रेक्षण केंद्रीय सरकार को भेजेगी।

(3) केंद्रीय सरकार, निगम के संप्रेक्षणों की परीक्षा करने के पश्चात् निगम द्वारा किए गए संप्रेक्षणों की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर दावे के अवधारण पर विनिश्चय करेगी।

(4) केंद्रीय सरकार, दावे के अवधारण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार को नियम 3 के अधीन अवधारित रकम को संवितरित करेगी।

[फा.सं. 15-9/2014-एनएफएसए]

दीपक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2014

G.S.R. 743(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of Section 39 read with section 23 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government, in consultation with the State Governments, hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Provisioning of Funds to State Governments for Short Supply of Foodgrains Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);
- (b) "Corporation" means the Food Corporation of India established under Section 3 of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964);
- (c) "entitled quantity of foodgrains" means the quantity of foodgrains to be allocated by the Central Government to the State Governments in accordance with Section 22 of the Act;
- (d) words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Time limit for allocation of foodgrains.— The Central Government and the State Governments shall adhere to the time limit specified in the Public Distribution System (Control) Order, 2001 for allocation of foodgrains and making them available for distribution to the persons entitled under the Act.

4. Allocation and supply of foodgrains by Central Government to State Governments.— The Central Government shall ensure that the entitled quantity of foodgrains is allocated from the central pool to the State Governments under the Targeted Public Distribution System and the regular supply of the allocated foodgrains reach the depots designated by the Central Government in each State.

5. Manner of providing funds by Central Government.— If the Central Government is unable to supply the required quantity of foodgrains to any State Government, it shall provide funds to the extent of short supply to that State Government, at the rate of difference between 1.25 times the minimum support price of the relevant foodgrains for that marketing season and the prices specified in Schedule I to the Act.

6. Funds to be provided in case of alternative arrangements by State Governments.—(1) If the entitled quantity of foodgrains is not made available by the Central Government to any State Government, then that State Government may, to the extent of the short supply, make arrangements to deliver the entitlements under Chapter II of the Act through purchases from the open market.

(2) In case of purchase from the open market under sub-rule (1), the Central Government shall provide funds to the State Government to the extent of short supply of foodgrains at the rate of difference between—

- (i) the price at which the State Government has purchased the foodgrains and the prices specified in Schedule I to the Act; or
- (ii) 1.25 times the minimum support price of the relevant foodgrains for that marketing season and the prices specified in Schedule I to the Act,

whichever is lower.

7. Procedure for claiming funds by State Governments.— In making claim for funds under rules 5 and 6, the State Government shall submit the claim to the Central Government along with all particulars indicating the following, namely :—

- (i) quantity of short supply;
- (ii) designated depot where short supply has occurred;
- (iii) period of short supply;
- (iv) proof of purchase of foodgrains from open market by the State Government, to deal with the short supply of foodgrains; and
- (v) other necessary documents as may be considered necessary to establish the claim.

8. Processing of claim by Central Government.— (1) The Central Government shall forward the claims of the State Government received under rule 7 to the Corporation within fifteen days from the date of receipt of claim by it.

(2) The Corporation shall, after processing the claim of the State Government, send its observations to the Central Government within fifteen days from the date of receipt of the claim forwarded by the Central Government.

(3) After examination of the observations of the Corporation, the Central Government shall take a decision on the determination of claim within fifteen days from the date of receipt of observations made by the Corporation.

(4) The Central Government shall disburse the amount determined under sub-rule (3) to the State Government within fifteen days from the date of determination of the claim.

[No. 15-9/2014-NFSA]

DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.